

बिहार सरकार  
कृषि विभाग।

अधिसू० सं०-01/ए०कोर्ट-84/05

/कृ०, पटना दिनांक , 2016

अधिसूचना

श्री सत्यनारायण मोची, सम्प्रति सेवा निवृत्त, संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना को सी० डब्लू० जे० सी० सं०-14333/05 से उत्पन्न सिविल रिव्यू सं०-309/10 में दिनांक-03.04.2012 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु विधि एवं वित्त विभाग के परामर्श तथा प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक-27.10.1991 से 19.02.1993 के लिए एक छायापद (सुपर न्यूमरेरी) का सृजन करते हुए एवं दिनांक-27.10.1991 से बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य) के अंतर्गत कनीय प्रवर कोटि वेतनमान 3000-4500 में सभी वित्तीय लाभों के साथ नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

3. वित्त विभाग, बिहार के संकल्प सं०-660 वि० (2) दिनांक-08.02.99 में निहित प्रावधान के तहत उक्त प्रोन्नति का लाभ दिनांक-31.12.95 तक ही देय होगा।

4. विभागीय अधिसूचना सं०-2179 (सचिवा०) दिनांक-08.06.2006 की कंडिका (1) के क्रमांक-1 के अंतर्गत प्रोन्नति की तिथि 20.02.93 को तथा कंडिका-2, 3, 4 को श्री सत्यनारायण मोची के मामले में इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-  
विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

/कृ०, पटना दिनांक , 2016

प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

ह०/-  
विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

/कृ०, पटना दिनांक , 2016

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

ह०/-  
विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।